न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला - बारां
पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनीषा तिवारी RAS उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा अध्यासित
प्रकरण संख्या - 19/019
दायरा दिनांक - 18/3/019
निर्णय दिनांक 14/12/20

आवान

1- श्रीबाई पुत्री हरीसिंह पौत्र करतारसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कड़ैया हाट तहसील छबड़ा जिला - बारां

बनाम

1- राज. सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला - बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act

निर्णय दिनांक
14/12/20

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act विरुद्ध अप्रार्थी के इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खाता संख्या 71 खसरा नम्बर 170 की 4 बीघा 09 बिस्वा ख.नं. 181 की रकबा 7 बिस्वा कुल [illegible] रकबा 4.16 बीघा वाके माल सेवन खेड़ी [illegible] है जिसमें प्रार्थीया का हि0 1/6 दर्ज रिकार्ड है।

खाता संख्या 47 की खसरा संख्या 214 की रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन चारागाह वाके माल सेवन खेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:56:47 IST
Reason: SelfAttested

में स्थित है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/12 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। इसी प्रकार खाता संख्या 20 के ख.न. 7 रकबा 8 बीघा व ख.न. 8 रकबा 0.08 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8.08 बीघा ग्राम कोल बोरखेड़ी तहसील छबड़ा में स्थित है जिसमें प्रार्थिया का हि० 1/30 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। प्रार्थिया अपने हिस्से पर कई वर्षों से काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है।

प्रार्थिया के पिता हरिसिंह का खाता इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व गलती से प्रार्थिया के घर पर बोलते सम्म नाम श्रीबाई के स्थान पर गुड्डी बाई दर्ज कर दिया जिसको दुरस्त कर श्री बाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड भामाशाह कार्ड सभी में प्रार्थिया का नाम श्रीबाई दर्ज है।

प्रार्थिया अपने हिस्से की भूमि पर नहर लेकर ट्यूबवेल लगाकर मोट खिंचवाने, मेडबंदी व तार फेंसिंग कर प्रगतिशील काश्त करना चाहती है परन्तु यह सब प्रार्थिया का नाम गुड्डी बाई के स्थान पर श्री बाई शुद्ध नहीं कर दिया जाता तब तक सम्भव नहीं है।

प्रार्थिया को उक्त खातों में नाम गलत होने से राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाले लाभों से भी वंचित होना पड रहा है। साथ ही [illegible] खाता संख्या 71 कोकेमोल सेवन खेड़ी तहसील छबड़ा जिला [illegible] में प्रार्थिया गुड्डी बाई ना०बा० दर्ज है जिसे बालिग दर्ज किया जाना भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में प्रार्थिया की उम्र 32 वर्ष है। जो पूर्णतया बालिग है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:56:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थिया को अपने नाम की जानकारी दिनांक 10/3/019 को हुई जब प्रार्थिया किसान कार्ड बनवाने के लिए ऑन लाइन फरदी के पास नकल लेने गई।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया का नाम दुरस्त किया जाकर गुड्डी के स्थान पर श्रीबाई किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर आपत्ति को नोटिस समन तलब किया गया। अप्रार्थी राज. सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा द्वारा दिनांक 26/7/20 को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया कि प्रार्थिया के दस्तावेजात के आधार पर जांच की गई जिसमें पाया कि श्रीबाई अहीर पत्नि करतार सिंह ग्राम कंडेलाहार की रहने वाली है जिसको गुड्डीबाई के नाम से भी जाना जाता है गुड्डीबाई व श्रीबाई दोनों एक ही व्यक्ति है दस्तावेजों में सही नाम श्रीबाई दर्ज है।

तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का नाम गुड्डीबाई के स्थान पर श्रीबाई दर्ज करने की अनुशंषा की गई है।

अतः प्रा.पत्र में अंकित विवादित भूमि में प्रार्थिया का नाम गुड्डीबाई उर्फ श्रीबाई दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:56:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र [illegible] धारा 136 LRAct स्वीकार किया जाता [illegible] खातेदारी खाता सं० 71 ख.न. 170 रकबा 5.09 बीघा ख.[illegible] 181 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5.16 बीघा ग्राम सेवनखेड़ी व खाता संख्या 57 ख०न०

न. 214 रकबा 0.04 बिस्वा गैर मुमकिन चौट ग्राम सेवन खेड़ी तथा ग्राम बोरखेड़ी के खाता संख्या 20 ख.नं. 7 रकबा 8.00 बीघा व ख.नं. 8 रकबा 0.08 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8.08 बीघा भूमि पर प्रार्थिया का नाम गुड्डीबाई के स्थान पर गुड्डीबाई उर्फ श्रीबाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है, तदनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट तत्काल इस न्यायालय में भिजवायें। निर्णय की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/12/20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला- बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:56:47 IST
Reason: SelfAttested